।।कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक राजसमन्द (राज.)।।

क्रमांक न–5( ) राजस– फोर्स/2025/6886 दिनांक :– 2-12-2025

प्रेस नोट

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं पदौन्नति बोर्ड राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक 5780 दिनांक 29.11.2025, 5820 दिनांक 01.12.2025 तथा पुलिस मुख्यालय की विज्ञप्ति संख्या 1360,1361 दिनांक 09.04.2025, संशोधित विज्ञप्ति क्रमांक 1376 दिनांक 15.04.2025 एवं 1536 दिनांक 26.04.2025 के तहत जिला राजसमन्द में कानिस्टेबल सामान्य/कानि. चालक के पद पर शारीरिक मापतौल एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा (PST/PET) का आयोजन महाराणा भूपाल स्टेडियम उदयपुर में दिनांक 13.12.2025 को प्रातः 06:00 बजे से आयोजित की जावेगी। पात्र समस्त अभ्यर्थी उक्त शारीरिक मापतौल एवं दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित दिनांक/समय पर अपने साथ विज्ञप्ति क्रमांक 1360 दिनांक 09.04.2025 के बिन्दू संख्या--16 में उल्लेखित प्रमाण पत्र मय कॉल लेटर (वेब साईड से डाउनलोड किया हुआ) स्वप्रमाणित छायाप्रतियां, पासपोर्ट साईज के 08 फोटो मय प्राधिकृत चिकित्सक का शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र साथ लेकर आयेगें। शारीरिक मापतौल एवं दक्षता में उपस्थित होने सम्बन्धी कॉल लेटर एवं अन्य जानकारिया राजस्थान पुलिस की वेब साईट www.police.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है तथा विस्तृत विवरण कॉल लेटर पर अंकित है।

पुलिस मुख्यालय, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पालना की जावेः–

1. ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवेदन करने की दिनांक से पूर्व के वित्तीय वर्ष (अर्थात 2024–25) की आय के आधार पर ऑनलाईन जारी आर्थिक पिछड़ा वर्ग प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
2. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक 28046 दिनांक 06.05.2022 द्वारा निर्धारित शपथ पत्र अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत करने के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को अधिकतम 03 वर्ष के लिये वैद्य माना जायेगा।
3. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर के दिशा निर्देश दिनांक 09.09.2015 के बिन्दू संख्या–4 में वर्णितानुसार एससी/एसटी अभ्यर्थियों के लिये जारी जाति प्रमाण पत्र जीवन पर्यन्त होगा, जबकि ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र क्रीमिलेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य 03 वर्ष के लिये विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी।

(ममता गुप्ता)
जिला पुलिस अधीक्षक
राजसमन्द

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ।

1.अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (भर्ती एवं पदौन्नति बोर्ड) राजस्थान जयपुर।
2.महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज उदयपुर।
3.समस्त जिला पुलिस अधीक्षक गण मय जी.आर.पी. अजमेर/जोधपुर।
4.जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द।

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजसमन्द।
2.जन सम्पर्क अधिकारी राजसमन्द को भेजकर लेख है कि इस प्रेस नोट का स्थानीय/दैनिक/प्रादेशिक एवं राज्य स्तरीय समाचार पत्रो मे निःशुल्क दिनांक 03.12.2025 से 12.12.2025 तक के संस्करण में प्रचारित/प्रसारित जनहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने की व्यवस्था करावे।
3.समस्त वृताधिकारी/थानाधिकारी जिला राजसमन्द।
4.संचित निरीक्षक पुलिस लाईन राजसमन्द/प्रभारी पुलिस नियंत्रण कक्ष राजसमन्द को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार प्रेस नोट को संबंधित अखबारों में निःशुल्क छपवाने हेतु कार्यवाही करे।
5.सम्पादक दैनिक नवज्योति/राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर राजसमन्द को भेजकर लेख है कि इस प्रेस नोट को आपके समस्त संस्करण मे प्रचारित/प्रसारित जनहित मे निशुल्क दिनांक 03.12.2025 से 12.12.2025 तक प्रकाशित कराने की व्यवस्था करावें ।

जिला पुलिस अधीक्षक
राजसमन्द